COURT OF CIVIL JUDGE (S.D.), RAMPUR

CM No. 219/2022 (Reg No. 465/2022)

(Related OS. No. 400/2021)

Izhar Ali Vs. Ansar Ali & Ors.

<table>
<tr><th>DATE</th><th>ORDER SHEET</th><th></th></tr>
<tr><td>24-07-2024</td><td>
प्रकीर्ण वाद पेश हुआ। प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज वास्ते सुनवाई नियत है। प्रार्थना पत्र 4ग पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 4ग</u>
प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 4ग मय शपथपत्र 5ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मूलवाद सं० 400/2021 इजहार अली बनाम अंसार अली आदि में दिनांक 27–09–2022 नियत थी। प्रार्थी अपनी बीमारी के कारण अपने अधिवक्ता से तारीख मालूम नहीं कर सका, जिसकी वजह से वह नियत दिनांक 27–09–2022 को अदालत हाजिर नहीं हो। उक्त के कारण न्यायालय द्वारा मूलवाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज फरमा दिया गया। प्रार्थी ने जानबूझकर अदालत आने में गलती या देरी नहीं की है। उपरोक्त कारणवश वह दिनांक 27–09–2022 को हाजिर अदालत नहीं हो सका था। अतः प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांकी 27–09–2022 को अपास्त फरमाकर मूलवाद सं० 400/2021 को पुनः नम्बर पर कायम किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।
सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।
मूल पत्रावली संलग्न है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 27–09–2022 को मूलवाद सं० 400/2021 इजहार अली बनाम अंसार अली आदि, पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थी/वादी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त मूलवाद में नियत दिनांक को प्रार्थी की तबीयत खराब होने के कारण अदालत नहीं पहुंच सका था और न्यायालय द्वारा मूलवाद को पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया था। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।प्रार्थी द्वारा दिनांक 27–10–2022 को यह प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत कर दिया गया, जो समयान्तर्गत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27–09–2022 को अपनी अनुपस्थिति का जो कारण दर्शाया गया है, वह इस स्तर पर पर्याप्त प्रतीत होता है। विधि की मंशा है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर वाद का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाये। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रकीर्ण वाद सं० 219/2022 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।
<u>आदेश</u>
प्रकीर्ण वाद सं० 219/2022 स्वीकार किया जाता है। मूलवाद सं० 400/2021 इजहार अली बनाम अनसार अली आदि में पारित आदेश दिनांकित 27–09–2022 को अपास्त किया जाता है। मूलवाद 400/2021 इजहार अली बनाम अनसार अली आदि अपने मूल नम्बर पर कायम होकर दिनांक 23–08–2024 को पेश हो।
(अम्बरीष त्रिपाठी)
सिविल जज (प्रवर वर्ग)
रामपुर।
</td><td></td></tr>
</table>

Digitally signed by Ambareesh Tripathi
Date: 2024.07.24 17:34:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court